[2022] 1 एस. सी. आर. 422

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

ए.

स्टेट बाय (एन. सी. बी.) बेंगलुरु बनाम

पल्लुलाबीद अहमद अरिमुत्ता और ए. एन. आर.

(अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (सीआरएल) 2022 की संख्या 242) 10 जनवरी, 2022

बी.

[एन**.** वी**.** रमना**,** सीजेआई**,** सूर्या कांत और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

जमानत-मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों को रद्द करना-आयोजितःएक इकबालिया बयान यू/एस दर्ज किया गया।67 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के मुकदमे में अस्वीकार्य रहेगी-याचिकाकर्ता-एन. सी. बी. द्वारा की गई गिरफ्तारी, प्रतिवादियों-अभियुक्तों या सह-अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति/स्वैच्छिक बयानों के आधार पर।67, उन्हें जमानत पर रिहा करने के विवादित आदेशों को पलटने का आधार नहीं बन सकता-स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 -एस. 67.

सी.

डी.

जमानत-मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों को रद्द करना-आयोजितःतथ्यों पर, ए-2 को जमानत पर रिहा करने के लिए उच्च न्यायालय के साथ विचार करने का एकमात्र कारण यह प्रतीत होता है कि उसका मामला ए-1, ए-3 और ए-4 के समान है, जिसे जमानत पर बढ़ाया गया था-ए-2 हालांकि उपरोक्त सह-अभियुक्त के साथ समानता की मांग नहीं कर सकता है और एस को देखते हुए उसे ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता था।37 एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जब उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम-ए-2 को दी गई जमानत रद्द-नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत विचार के अनुसार वाणिज्यिक मात्रा में साइकोट्रोपिक पदार्थों के सचेत कब्जे में पाया गया था।एस. 37.

ई.

एफ.

असाधारण अपील न्यायनिर्णय:अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (सीआरएल) 2022 की संख्या 242।

2019 की आपराधिक याचिका No.4462 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 16.09.2019 के निर्णय और आदेश से।के साथ

जी.

अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (सीआरएल) 2021 की सं. 1569,1454,1465,2080 और 1773-74।

के. एम. नटराज, एस. वी. राजू, ए. एस. जी., बी. के. सतीजा, सुश्री रेखा पांडे, रजत नायर, ओ. पी. शुक्ला, अरविंद कुमार शर्मा, बी. वी. बलराम दास, सुश्री सैरिका राजू, अन्नम वेंकटेश, राहुल मिश्रा, अरविंद कुमार ए.

एच.

422

423

(एन. सी. बी.) बेंगलुरु बनाम पल्लुलाबीद अहमद अरिमुत्ता ए.

शर्मा, सुश्री सीमा बेंगनी, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, सुश्री विमला सिन्हा, वत्सल जोशी, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

राजेश महाले, पी. वी. दिनेश, अश्विनी कुमार सिंह, बिनेश के., अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

बी.

हिमा कोहली जे।

एस. एल. पी. (सी. आर. एल.). 2020 की डायरी संख्या 22702 में देरी को माफ कर दिया गया। 1.चूंकि वर्तमान याचिकाओं के तथ्य आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए एन. सी. बी. मामला एफ. एन. संख्या 48/01/03/2019 बी. जेड. यू. और एन. सी. बी. मामला एफ. एन. संख्या 48/01/07 2019/बी. जेड. यू. के रूप में दर्ज दो जुड़े मामलों से उत्पन्न होने के कारण, उन्हें एक सामान्य आदेश द्वारा निपटाने का प्रस्ताव है।याचिकाकर्ता-मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, बेंगलुरु क्षेत्रीय इकाई 1, आपराधिक अनुमति याचिका संख्या 4462/2019 (एसएलपी (सीआरएल) की विषय वस्तु) में 16 सितंबर, 2019 को पारित एक आदेश से व्यथित है। डायरी सं. 22702/2020), आदेश दिनांक 14 जनवरी, 2020 को आपराधिक

अवकाश याचिका सं. 8603/2019 (एसएलपी (सीआरएल) की विषय वस्तु) में पारित किया गया। सं. 1454/2021), आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2020 को आपराधिक याचिका सं. 7861/2019 (एसएलपी (सीआरएल) की विषय वस्तु) में पारित किया गया। सं. 1465/2021), आदेश दिनांक 19 दिसंबर, 2019 को आपराधिक याचिका सं. 7624/2019 c/w आपराधिक याचिका सं. 6609/2019 (एसएलपी (सीआरएल) की विषय वस्तु) में पारित किया गया। सं. 1773-1774/2021), आदेश दिनांक 08 जनवरी, 2020 को आपराधिक याचिका सं. 7714/2019 (एसएलपी (सीआरएल) की विषय वस्तु) में पारित किया गया। सं. 1569/2021) और 20 जनवरी, 2020 का आदेश आपराधिक याचिका सं. 7897/2019 (एसएलपी (सीआरएल) की विषय वस्तु) में पारित किया गया। सं. 2080/21)।उपरोक्त आदेशों के अनुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 (बी), 21,22,27 ए, 27 बी, 28 और 29 के साथ पठित धारा 8 (सी), 8 ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्रत्यर्थीगण को जमानत पर रिहा कर दिया है।2. प्रत्यर्थीगण के खिलाफ उपरोक्त मामले दर्ज करने के लिए तथ्य यह हैं कि 22 मार्च, 2019 को याचिकाकर्ता-एन. सी. बी. को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति यानी नौशीर मोहम्मद [ए-1] और नौशाद मन्नाक्कमवल्ली [ए-2] बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ओमान एयरवेज द्वारा ड्रग्स ले जाने और दोहा की यात्रा करने जा रहे थे।इस तरह की जानकारी मिलते ही एन. सी. बी. अधिकारियों की एक टीम हवाई अड्डे पर पहुंची और ए-1 और ए-2 के सामान की तलाशी ली।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

1 संक्षेप में 'एन. सी. बी.'

2 संक्षेप में 'एनडीपीएस अधिनियम'

एच.

1 किलो हशीश, 965 ग्राम एम्फेटामाइन और 30 ग्राम कोकीन जब्त की गई।एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) @डायरी संख्या 22702/2020 अर्थात पल्लुलाबीद अहमद अरिमुट्टा और मोहम्मद माजिद सलीम में दोनों प्रत्यर्थीगणओं को एन. सी. बी. मामले एफ. एन. संख्या 48/01/03 2019/बी. जेड. यू. 3 में आरोपी संख्या 3 और 4 के रूप में आरोपित किया गया था और ऊपर बताए गए अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था।इसी तरह, एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में प्रत्यर्थी मोहम्मद अफजल [ए-6]। नहीं. 1454/2021 को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि उसके कॉल विवरण रिकॉर्ड 4 से पता चलता है कि वह ए-2 और एक अबू ताहिर @अब्दु [ए-5] के साथ लगातार बातचीत कर रहा था।इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज ए-5 के बयान पर भरोसा व्यक्त किया गया था, जिसमें कथित रूप से पता चला था कि दोनों ने उन दवाओं की व्यवस्था की थी जो 22 मार्च 2019 को ए-1 और ए-2 को वितरित की गई थीं, जो दोहा के लिए उड़ान भरते समय अपने सामान में इसे ले जाने जा रहे थे।

बी.

सी.

3. एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में प्रत्यर्थी मुनीस कविल परमबाथ [ए-8]। नं. 1454/2021 कथित तौर पर जब्ती की तारीख को A-5 के CDR के अनुसार A-2, A-6, A-7 और A-8 के साथ बातचीत में पाया गया था।याचिकाकर्ता-एन. सी. बी. का दावा है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज ए-5 के बयान के अलावा, उसने अपनी जांच के दौरान स्वेच्छा से यह भी कहा था कि उसे ए-8 द्वारा ड्रग्स के वित्तपोषण के लिए पैसे दिए गए थे।अबू ताहिर @अब्दु [ए-5] और साबिर बयान [ए-7], एसपी (सीआरएल) में प्रत्यर्थीगण। ए-2, ए-6 और ए-8 नामक सह-अभियुक्तों के बयान और ए-5 और ए-6 के घर से ए-1 के उड़ान टिकट बरामद होने के आरोप में इसी तरह 1773-1774/2021 को गिरफ्तार किया गया था। 4.पहला मामला दर्ज करने के बाद और याचिकाकर्ता-एन. सी. बी. के अनुसंधान अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने विश्वसनीय जानकारी एकत्र की है कि अबू ताहिर उर्फ अब्दु और मोहम्मद अफजल को एन. सी. बी. मामले एफ. एन. संख्या 2019/बी. जेड. यू. 5 में [ए-1] और [ए-2] के रूप में आरोपित किया गया था, वे खुशबू शर्मा और मोहम्मद आसिफ नाम के व्यक्तियों के साथ दोहा में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले थे।उक्त अभियुक्तों को 15 जून, 2019 को बेंगलुरु हवाई अड्डे के पार्किंग क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था।यह कहा जाता है कि खुशबू शर्मा के पास एक काला थैला पाया गया था, जिसकी तलाशी लेने पर सैनिटरी नैपकिन में छुपाए गए 510 ग्राम मेथामफेटामाइन का पता चला।इसके अलावा, जब विभाग द्वारा ए-1 और ए-2 को उनके द्वारा किराए पर लिए गए फ्लैट में ले जाया गया, तो एन. सी. बी. अधिकारियों को वहां भारी मात्रा में मादक पदार्थ रखे हुए मिले।

डी.

ई.

एफ.

जी.

3 इसके बाद 'पहला मामला' के रूप में संदर्भित किया जाता है 4 संक्षेप में 'सीडीआर' के लिए

5 इसके बाद 'दूसरा मामला' ए के रूप में संदर्भित किया गया

एच.

425

(एन. सी. बी.) बेंगलुरु बनाम पल्लुलाबीद अहमद अरिमुत्ता [हिमा कोहली जे.] ए.

अर्थात्, 330 ग्राम मेथामफेटामाइन, 13.680 किलोग्राम हशीश, 2.850 किलोग्राम हशीश तेल, 9.050 किलोग्राम गांजा और 4586 कैप्सूल ऑफ लिरिका।5. एसएलपी (सीआरएल) में प्रत्यर्थी मोहम्मद अफजल [ए-2] के खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोप। नं. 1569/2021 जिसे एन. सी. बी. द्वारा दर्ज किए गए दूसरे मामले में 08 जनवरी, 2020 के आदेश के माध्यम से जमानत दी गई थी, वह यह है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज अपने स्वयं के भड़काऊ बयान और सह-आरोपी अबू ताहिर @अब्दु [ए-1] के इकबालिया बयान के अलावा, उसके किरायेदार परिसर में बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए थे और सह-आरोपी खुशबू शर्मा के हैंड बैग से भी हवाई अड्डे पर उसके कब्जे में ड्रग्स पाया गया, जिसने ड्रग्स को छुपाया था।

बी.

सी.

6. जहाँ तक आपराधिक याचिका संख्या 7897/2019 में प्रत्यर्थी मुनीस कविल [ए-5] का संबंध है, जिसे एन. सी. बी. द्वारा दर्ज किए गए दूसरे मामले में 20 जनवरी, 2020 के आदेश के माध्यम से जमानत दी गई थी, उसे गिरफ्तार करने का आधार एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत सह-आरोपी ए-1 द्वारा उसके खिलाफ दिया गया बयान था, जिसमें खुलासा किया गया था कि ए-5 ने अपने भाई से प्राप्त निर्देशों पर पिछले कई मौकों पर दोहा में ड्रग्स भेजे थे और वह नशीली दवाओं के व्यवसाय का वित्तपोषण कर रहा था।

डी.

7. संबंधित याचिकाओं में याचिकाकर्ता-एन. सी. बी. की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल श्री एस. वी. राजू और श्री के. एम. नटराज ने विवादित आदेशों को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष वापस करने में गलती की है कि

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 की कठोरता वर्तमान मामलों के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं होती है। कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 में निर्धारित पूर्व शर्तों में से कोई भी, जो एक गैर-अस्थाई खंड से शुरू होती है, प्रत्यर्थीगण को कोई राहत देने के लिए तत्काल मामलों में पूरी नहीं की गई थी और यह कि प्रत्यर्थीगण को इस गलत धारणा पर रियायत दी गई है कि यह विश्वास करने के लिए एक उचित आधार है कि वे इस तरह के अपराध के लिए दोषी नहीं हैं।विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया है कि तत्काल मामलों में, प्रत्यर्थीगण की जमानत याचिकाओं को अस्वीकार करने के लिए उचित कारण मौजूद हैं और यह मानने के लिए शायद ही कोई आधार है कि वे उनके खिलाफ कथित अपराधों के दोषी नहीं थे या जमानत पर रहते हुए उनके द्वारा ऐसा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

8. 05 जनवरी, 2020 के आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं-एन. सी. बी. के विद्वान अधिवक्ता को प्रत्येक प्रत्यर्थीगण की भूमिका, उनकी गिरफ्तारी के समय उनके खिलाफ एकत्र किए गए साक्ष्य, उनके बारे में एक व्यापक सारणीबद्ध बयान तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

एच.

पूर्ववृत्त, वे तिथियाँ जिन पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उनके द्वारा की गई हिरासत की अवधि, तैयार संदर्भ के लिए।उक्त सारणीबद्ध बयान दायर किया गया है और उसके अवलोकन से पता चलता है कि एसएलपी (सीआरएल) @डायरी No.22702/2020, एसएलपी (सीआरएल) में No.1454/2021, एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) सं. 1465/2021, एसएलपी (सीआरएल) सं. 1773-1774/2021, SLP (CRl.) नं. 2080/2021, याचिकाकर्ता-एन. सी. बी. द्वारा अभियुक्तों और सह-अभियुक्तों के स्वैच्छिक बयानों पर भारी निर्भरता रखी गई है जो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए हैं।एक अन्य साक्ष्य का उल्लेख पहले मामले में ए-3, ए-4, ए-5, ए-6 और ए-8 के संबंध में सी. डी. आर. विवरण है जो अभियोजन पक्ष के अनुसार यह दर्शाता है कि उक्त प्रत्यर्थीगण जब्ती की तारीख को लगातार एक-दूसरे के संपर्क

में थे और ए-1 और ए-2 के संपर्क में थे।इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकर्षित किया गया कि पहले मामले में ए-5, ए-6 और ए-8 और दूसरे मामले में ए-2 और ए-5 की पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं है।

बी.

सी.

9. याचिकाकर्ता-एन. सी. बी. की ओर से प्रस्तुत प्रत्यर्थीगण के सारणीबद्ध बयान के साथ अभिलेखों को देखने और प्रत्येक मामले में पारित विवादित आदेशों को ध्यान से देखने के बाद, यह सामने आता है कि पहले मामले में ए-1 और ए-2 के स्वैच्छिक बयानों और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत स्वयं दर्ज किए गए प्रत्यर्थीगण के बयानों को छोड़कर, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी के समय अभियोजन पक्ष के पास कोई पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं थी ताकि प्रत्यर्थीगण को उनके खिलाफ लगाए गए मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त होने के आरोपों से जोड़ा जा सके।अभियोजन पक्ष द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि एसएलपी (सीआरएल) में प्रत्यर्थी को छोड़कर। नहीं. 1569/2021, अन्य प्रत्यर्थीगणओं में से किसी के पास भी एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत विचार किए गए मनोवैज्ञानिक पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा नहीं पाई गई। 10.तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य 6 में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया इकबालिया बयान एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के मुकदमे में अस्वीकार्य रहेगा। उपरोक्त निर्णय के अनुसार, याचिकाकर्ता-एन. सी. बी. द्वारा एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत प्रत्यर्थीगण या सह-अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति/स्वैच्छिक बयानों के आधार पर की गई गिरफ्तारी, उन्हें जमानत पर रिहा करने के विवादित आदेशों को पलटने का आधार नहीं बन सकती है।कुछ अभियुक्तों का सी. डी. आर. विवरण या प्रत्यर्थीगण में से किसी एक की ओर से साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ के आरोप एक ऐसा पहलू है जिसकी सुनवाई के चरण में जांच की जाएगी।उपरोक्त कारण से, यह न्यायालय 16 तारीख के आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

(एन. सी. बी.) बेंगलुरु बनाम पल्लुलाबीद अहमद अरिमुत्ता [हिमा कोहली जे.]

सितंबर, 2019,14 जनवरी, 2020,16 जनवरी, 2020,19 दिसंबर, 2019 और 20 जनवरी, 2020 एसएलपी (सीआरएल) में पारित हुए। सं @डायरी सं. 22702/2020, एसएलपी (सीआरएल) नं. 1454/2021, SLP (CRl.) नं. 1465/2021, SLP (CRl.) नं. 1773-74/2021 और SLP (CRl.) नं. 2080/2021 क्रमशः।तदनुसार, विवादित आदेशों को बरकरार रखा जाता है और याचिकाकर्ता-एन. सी. बी. द्वारा संबंधित प्रत्यर्थीगण को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया जाता है।

बी.

11. हालाँकि, एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में प्रत्यर्थी मोहम्मद अफजल [ए-2] के खिलाफ हमारे सामने लाए गए सबूत। नं. 1569/2021, दूसरे मामले की विषय वस्तु यानी, एन. सी. बी. केस एफ. एन. नं. 48/01/07 2019/BZU, जिसे 08 जनवरी, 2020 के आदेश के माध्यम से जमानत दी गई थी, को पूरी तरह से अलग आधार पर माना जाएगा।कथित प्रत्यर्थी के खिलाफ उसके द्वारा कब्जा किए गए किराए के आवास से पर्याप्त वाणिज्यिक मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी के संबंध में विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं, जिसके अनुसार उसे 16 जून, 2019 को गिरफ्तार किया गया था।08 जनवरी, 2020 के आदेश को पारित करते समय इस पहलू की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा उसे जमानत पर रिहा करने का एकमात्र कारण यह प्रतीत होता है कि उसका मामला ए-1, ए-3 और ए-4 के समान है, जिसे विभाग द्वारा दर्ज किए गए दूसरे मामले के संबंध में 11 अक्टूबर, 2019,16 सितंबर, 2019 और 09 सितंबर, 2019 के आदेशों द्वारा जमानत पर बढ़ा दिया गया था।हमारा दृढ़ विचार है कि ए-2 उपरोक्त सह-अभियुक्त के साथ समानता की मांग नहीं कर सकता है और अधिनियम की धारा 37 को देखते हुए उसे ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता था, जब उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत विचार किए गए मनोरोगी पदार्थों की वाणिज्यिक मात्रा के सचेत कब्जे में पाया गया था। यह स्थिति होने के कारण, याचिकाकर्ता-एन. सी. बी. एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में सफल होता है। नं. 1569/2021।प्रतिवादी-मोहम्मद अफजल [ए-2] को दी गई जमानत इस स्तर पर तुरंत रद्द कर दी जाती है और उसे हिरासत में लेने के लिए दो सप्ताह की अवधि के भीतर सत्र अदालत/विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

12. याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त आदेश के अनुसार किया जाता है।13. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऊपर की गई टिप्पणियां जमानत रद्द करने के लिए वर्तमान याचिकाओं में मांगी गई राहत की जांच करने तक सीमित हैं।इस न्यायालय ने निचली अदालत के समक्ष लंबित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है।

जी.

बिभूति भूषण बोस

याचिकाओं का निपटारा किया गया।

एच.